न्यायालय भू.अभिलेख अधिकारी बालोतरा
राजस्व लोक अदालत कैम्प असाडा –2018
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व वाद **47 /2018**

प्रार्थीगण :–

1. विरेन्द्र कुमार जैन पुत्र गौतमचंदजी
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र गौतमचंदजी जाति ओसवाल निवासी बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. लाखाराम पुत्र गोबरराम
2. पोलाराम पुत्र रामाराम
3. भोपाराम पुत्र रामाराम
4. पारसराम पुत्र रामाराम
5. परमेश्वरी पुत्री रामाराम
6. जमना बैवा रामाराम
7. आदुराम पुत्र पाबूराम
8. वागाराम पुत्र भलाराम
9. मैथी बेवा मानाराम सभी जातियान देवासी निवासी असाडा
10. हीराराम पुत्र उदाराम जाति मेगवाल
11. हाथिराम पुत्र भलाराम जाति कलबी
12. मेहराम पुत्र लालुराम जाति राईका
13. हुक्माराम पुत्र भलाराम
14. वगताराम पुत्र भलाराम
15. वगा पुत्र भलाराम जाति कलबी चौधरी निवासी असाडा
16. धन्नाराम पुत्र सवाराम
17. नारणाराम पुत्र सवाराम
18. अगरों बेवा सवाराम
19. प्रवीण पुत्र सुखराम जाति ओसवाल निवासी असाडा
20. संदीप पुत्र त्रिभुवन जाति ओसवाल
21. गोबरराम पुत्र भारताराम
22. मालाराम पुत्र भारताराम
23. तगु बैवा भारताराम

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प- 2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......असाडा.......

Scanned by CamScanner

24. मगाराम पुत्र गणेशाराम
25. वसुदेवली बेवा गणेशाराम जाति राईका निवासीयान असाडा
26. सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बालोतरा
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

विप्रार्थीगण संख्या – 3 ता 5 नाबालिंग जरिये माता जमना बैवा रामाराम

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू0–राजस्व अधिनियम

'आदेश' दिनांक :– 13.06.18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प असाडा में पेश हुई। प्रार्थीगण ने यह आवेदन पत्र पेश किया कि ग्राम असाडा, ख0न0 54 रकबा 51 बीघा 12 बिस्वा में अवस्थित है उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या –1 के हक पूर्वक अधिकारी का 40/1032 व 40/1032 कुल रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा का रहा है। इसी प्रकार का प्रार्थी संख्या –2 के हक पूर्व अधिकारी का उक्त भूमि में 40/1032 व 40/1032 कुल रकबा 4 बीघा का रहा है। उक्त कृषि भूमियां जरिये पंजीकृत बेचान प्रार्थीगण को कर दिया जिसकी पालना में राजस्व रेकर्ड व जमाबंदी में अंकन किया गया है। उक्त बेचाननामा में प्रार्थीगण के द्वारा खरीद कि गयी भूमि के पडौस का विवरण अंकित है। मूल खसरान संख्या 54 मे खातेदारन का हिस्सा अलग–अलग रहा है। किन्तु लट्ठा ट्रेस में तरमीम नहीं कि गयी है।प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अपने खरीदसुदा एवं मौके पर कब्जा अनुसार राजस्व रेकर्ड व नक्शें में तरमीम करने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर हमने पत्रावली अवलोकन व अध्ययन कर मजमे आम में चर्चा कि। चूंकि प्रार्थीगण ने रेकर्ड खातेदार से जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख से भूमि खरीद की गयी है। जिसका अंकन राजस्व रेकर्ड किया गया किन्तु लट्ठा ट्रेस में तरमीम नहीं कि गयी है। जिससे प्रार्थीगण का मौके पर कब्जे एवं पंजीकृत विक्रय विलेख अनुसार राजस्व रेकर्ड के नक्शे में तरमीम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः बाद विवेचन प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र किया जाकर सरहद मौजा असाड़ा में अवस्थित कृषि भूमि खेत खसरा स. 54 रकबा 51 बीघा 12 विस्वा में प्रार्थी सं. 01 के खरीदसुदा भूमि के भाग बराबर 04 बीघा 02 विस्वा एवं प्रार्थी सं. 02 के खरीद सुदा भूमि का भाग 4 बिघा का माफिक पंजीकृत दस्तावेज गें वर्णित पड़ौस नाप व कब्जानुसार राजस्व रेकर्ड़ नक्शा लटटा ट्रेस में तरमीम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

आदेश खुले न्यायालय राजस्व लोक अदालत कैम्प असाडा मे सुनाया गया ।

(भागीरथ राम)
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प...असाड़ा......

Scanned by CamScanner